न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 03/1999 G.C.M.S. No. 1999/00001 दर्ज दिनांक : 16.01.1999

अपीलार्थी:

श्री बालाजी मंदिर जरिये उपासक (भक्त) उमाराम पुत्र हेमाजी सिरवी, उम्र 27 वर्ष, निवासी बाली तहसील बाली, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

मृत शेषाराम पुत्र देवाजी चौधरी के कायम मुकाम:–

1. पीताराम
2. भूराराम
3. पूनाराम
4. नेमाराम पुत्रगण शेषाराम
5. फूली बेवा शेषाराम, समस्त जातिगण चौधरी, निवासीगण बाली, तहसील बाली व जिला पाली।
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा आदेश क्रमांक/राजस्व/85/2628 दिनांक 02.11.1985 द्वारा रेस्पोंडेंट मृत शेषाराम चौधरी के पक्ष में राजस्थान भू–राजस्व सिंचाई प्रयोजनार्थ पंपिंग सेट लगाने एवं कुआं खोदने हेतु भूमि का आवंटन नियम 1979 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री कृष्णदास, श्री श्याम पंचारिया, श्री रघुनाथ परिहार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखंड अधिकारी बाली द्वारा आदेश क्रमांक/राजस्व/85/2628 दिनांक 02.11.1985 द्वारा रेस्पोंडेंट मृत शेषाराम चौधरी के पक्ष में राजस्थान भू–राजस्व सिंचाई प्रयोजनार्थ पंपिंग सेट लगाने एवं कुआं खोदने हेतु भूमि का आवंटन नियम 1979 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी श्री बालाजी मंदिर भगवान है जो कि कानून अनुसार अवयस्क है। उनकी ओर से उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा उपासक (भक्त) की हैसियत से पेश की जा रही हैं। उक्त अपील में अपीलार्थी का श्री बालाजी मंदिर से विपरीत कोई हित नहीं हैं तथा उक्त अपील अपीलार्थी की ओर से श्री बालाजी मंदिर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

की भूमि को खुर्दबुर्द नहीं होने देने हेतु पेश की जा रही हैं। श्री बालाजी मंदिर व भूमि सार्वजनिक है। मंदिर की सभी ग्रामवासी एवं अपीलार्थी पूजा पाठ करते हैं तथा अपीलार्थी उमाराम श्री बालाजी का अनन्य भक्त है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोंडेंट मृत शेषाराम को दिनांक 02.11.1985 को ग्राम बाली के खसरा नंबर 486 रकबा 4 बिस्वा गै. मु. नदी का आवंटन कुआ खोदने हेतु सिंचाई प्रयोजनार्थ पंपिंग सेट लगाने एवं कुआं खोदने हेतु भूमि का आवंटन नियम 1979 के तहत अधीन न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा किया गया था। जिस अनुसार कुंआ उसी खसरे में अर्थात 486 में ही खोदा जाना चाहिए था। इसके साथ ही आवंटन के बाद तुरंत नियमानुसार लीजडीड निष्पादन करनी चाहिए थी एवं लीज की राशि प्रतिवर्ष प्रथम अप्रैल को जमा करवाई जानी चाहिए थीं। लेकिन न तो आज दिन तक लीजडीड ही निष्पादित की गई हैं व न ही लीजडीड की राशि ही जमा करवाई है। इसलिए आवंटन स्वतः शून्य होने से निरस्त योग्य है। उक्त आवंटन की अवधि 10 वर्ष तक ही थीं, जो दिनांक 02.11.1985 से प्रभावी था। परंतु 10 वर्ष की अवधि व्यतीत हुए तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। फिर भी न तो आज दिन तक लीजडीड जारी करवाई गई हैं व न ही अपीलाधीन आवंटन आदेश का नवीनीकरण कराया है। अपीलार्थी की ओर से उक्त अपील बहैसियत उपासक (अनन्य भक्त) श्री बालाजी के उक्त अपील पेश की जा रही हैं। क्योंकि नियम 1979 में सार्वजनिक हित की भूमि का आवंटन वर्जित है। इसलिए भी उक्त आवंटन खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार हैः–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.11.1985 को राजस्थान भू–राजस्व सिंचाई प्रयोजनार्थ पंपिंग सेट लगाने एवं कुआं खोदने हेतु भूमि का आवंटन नियम 1979 के अंतर्गत प्रार्थी रेस्पोंडेंट को ग्राम बाली के खसरा संख्या 486 किस्म गैर मुमकिन नाड़ी में 4 बिस्वा भूमि आवंटन के विरूद्ध हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दिनांक 15.01.1999 को प्रस्तुत की। जो विलंब के साथ प्रस्तुत हुई। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पूर्णतया नियम विरूद्ध है एवं नाबालिग मूर्ति श्री बालाजी मूर्ति को हड़पने वाला है। जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जा सकती हैं। उक्त आवंटन आदेश की आड़ में बालाजी मंदिर की खातेदारी भूमि में कुआं खोदकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलाधीन आदेश की पूर्व में जानकारी नहीं थीं। जो नकल आदि प्राप्त करने पर जानकारी हुई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट बतौर पक्षकार संयोजित नहीं हैं। अतः आदेश दिनांक की तिथि से अपीलांट को जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती हैं। प्रथमदृष्टया अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी की व जलमग्न भूमि गैर मुमकिन नाड़ी में से आवंटन किया गया है। जो अनुमत नहीं होने से आरंभतः शून्य है। जिसे कभी भी चुनौती दी जा सकती हैं। अतः हमारे विनम्र मत में विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा आदेश क्रमांक 2628 दिनांक 02.11.1985 द्वारा प्रार्थी शेषाराम चौधरी पुत्र देवाजी चौधरी जो रेस्पोंडेंट्स के पूर्वज है, को राजस्थान भू–राजस्व सिंचाई प्रयोजनार्थ पंपिंग सेट लगाने एवं कुआं खोदने हेतु भूमि का आवंटन नियम 1979 के अंतर्गत ग्राम बाली के खसरा संख्या 486 किस्म गैर मुमकिन नाड़ी में 4 बिस्वा भूमि सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने व पंपिंग सेट स्थापित करने के लिए 10 वर्ष के लिए सशर्त लीज पर आवंटित की गई। प्रकरण में यह महत्वपूर्ण नहीं हैं कि प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के आधार पर खसरा संख्या 486 में आवंटित भूमि में ही कुआं खोदा या खसरा संख्या 1235 की आराजी में बल्कि यह स्पष्ट है कि उक्त आवंटन खसरा संख्या 486 गैर मुमकिन नाड़ी भूमि में से किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती हैं, जो किसी भी प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन के लिए अनुमत नहीं हैं। साथ ही उक्त आवंटन अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से बाधित है। अतः अपीलाधीन आदेश आरंभतः शून्य एवं विधि बाधित है। जो काबिल अपास्त है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश विधि बाधित होने, आरंभतः शून्य होने तथा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में माननीय

राजस्व अपील अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से बाधित होने व आवंटित भूमि की किस्म गैर–मुमकिन नाड़ी होकर प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलाण्ट अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा आदेश क्रमांक 2628 दिनांक 02.11.1985 द्वारा प्रार्थी शेषाराम चौधरी पुत्र देवाजी चौधरी जो रेस्पोंडेंट्स के पूर्वज है, को राजस्थान भू–राजस्व सिंचाई प्रयोजनार्थ पंपिंग सेट लगाने एवं कुआं खोदने हेतु भूमि का आवंटन नियम 1979 के अंतर्गत ग्राम बाली के खसरा संख्या 486 किस्म गैर मुमकिन नाड़ी में 4 बिस्वा भूमि सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने व पंपिंग सेट स्थापित करने के लिए 10 वर्ष के लिए सशर्त लीज पर किया गया आवंटन अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। अधीनस्थ न्यायालय व संबंधित तहसीलदार को पालनार्थ तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner